



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 330 राँची, शुक्रवार,

22 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जुलाई, 2022

संख्या--5/आरोप-1-131/2016-6944 (HRMS)--श्रीमती पायल राज, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-265/20, गृह जिला-प0 सिंहभूम) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2330, दिनांक 27.09.2016 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-2085, दिनांक 10.11.2015 तथा उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-1475, दिनांक 28.07.2016 द्वारा गठित दो आरोप प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराया गया।

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-2085, दिनांक 10.11.2015 के द्वारा प्रेषित आरोप प्रपत्र-'क' में श्रीमती राज के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये हैं-

(i) श्रीमती पायल राज पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड पोटका में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2011-12 में मनरेगा अधिनियम की धारा-23, धारा-25, धारा-27(2) का उल्लंघन किया गया।

(ii) श्रीमती राज के द्वारा सम्यक पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण सरकार को 9,06,321/- (नौ लाख छः हजार तीन सौ इक्कीस) ₹0 की राजस्व की क्षति हुई है।

(iii) श्रीमती पायल राज द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-1475, दिनांक 28.07.2016 के द्वारा प्रेषित आरोप प्रपत्र-‘क’ में श्रीमती राज के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये हैं-

(i) श्रीमती पायल राज पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड पोटका में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2011-12 में मनरेगा अधिनियम की धारा-23, धारा-25, धारा-27(2) का उल्लंघन किया गया।

(ii) श्रीमती पायल राज के द्वारा सम्यक पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण सरकार को 6,98,751/- (छः लाख अठानवे हजार सात सौ इकावन) ₹0 की राजस्व की क्षति हुई है।

(iii) श्रीमती पायल राज द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त दोनों प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9075, दिनांक 21.10.2016 द्वारा श्रीमती राज से स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती राज के पत्र, दिनांक 04.07.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-2085, दिनांक 10.11.2015 के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के संदर्भ में श्रीमती राज का स्पष्टीकरण निम्नवत् है-

(i) पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड पोटका में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2011-12 में मनरेगा अधिनियम की धारा-23, धारा-25 एवं धारा-27(2) का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ii) सम्यक पर्यवेक्षण नहीं होने संबंधी आरोप निराधार है।

(iii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम के स्वीकृत्यादेश जापांक-968, दिनांक 12.08.2011 में निदेशित था कि मनरेगा में 50% से अधिक कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जायेंगे, जिसके आलोक में ग्राम पंचायत कालिकापुर को योजना सं0-3/11-12, 4/11-12 एवं 5/11-12 क्रियान्वयन हेतु स्थानान्तरित किया गया।

(iv) पंचायत राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) की अधिसूचना सं०-321, दिनांक 20.05.2011 एवं मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत पूर्णरूपेण सक्षम एवं स्वतंत्र इकाई है एवं प्रत्यक्षतः उत्तरदायी है, जिसके अंतर्गत मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा तीनों योजनाओं में राशि की निकासी की गई ।

(v) कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के मापी विपत्र एवं मूल्यांकन के आधार पर मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा राशि की निकासी की गई एवं उनके देख-रेख में योजना का क्रियान्वयन किया गया ।

(vi) योजना सं०-3/11-12, 4/11-12 एवं 5/11-12 में मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता एवं रोजगार सेवक द्वारा जालफरेबी एवं कूटकरण से सम्पूर्ण राशि की फर्जी निकासी की गई, जिससे मामला अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं आ पाया ।

(vii) प्राथमिकता के आधार पर प्रखण्ड स्तरीय योजनाओं का भौतिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया गया, जिसकी वजह से पंचायत स्तरीय योजनाओं का शत-प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था ।

उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-1475, दिनांक 28.07.2016 के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के संदर्भ में श्रीमती राज का स्पष्टीकरण निम्नवत् है-

(i) संयुक्त जांच प्रतिवेदन में पूर्व में JRY से कार्य कराये जाने की अवधि की विवरणी अंकित नहीं है और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। साथ ही योजना सं०-3/11-12 (आडलीडुंगरी से डोकारसाई मुख्य पथ तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण) के प्रारंभ होने के पूर्व पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं मुखिया, कालिकापुर द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया कि योजना सं०-3/11-12 में विगत पांच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(ii) योजना सं०-3/11-12 में निर्धारित प्राक्कलन के अनुरूप किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् जो मापी विपत्र प्रस्तुत किया गया उसी को आधार मानते हुए भुगतान की कार्रवाई की गई है।

(iii) योजना में मजदूरी का भुगतान मनरेगा दिशा-निर्देशों के आलोक में चेक-सह-एडवाईज के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को निर्गत किया गया ।

(iv) सामग्री भुगतान संबंधी अनियमितता के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व कार्यपालक अभियंता के द्वारा तैयार व पारित मापी विपत्र की जांचोपरान्त योजना के अभिकर्त्ता को चेक निर्गत किया गया ।

(v) मजदूरी व सामग्री भुगतान पूर्णतया मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया है एवं मापी पुस्त में दर्ज कार्य मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

श्रीमती राज के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7625, दिनांक 12.10.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3287, दिनांक 25.09.2020 द्वारा उप

विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-1153, दिनांक 24.08.2020 द्वारा प्रेषित मंतव्य संलग्न करते हुए उप विकास आयुक्त के मंतव्य पर विभागीय सहमति संसूचित की गई है।

श्रीमती राज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के मंतव्य एवं उनके मंतव्य पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत संबंधित पंचायत सेवक, कनीय अभियंता तथा संबंधित मुखिया पर की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की माँग उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से की गयी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक-380, दिनांक 06.03.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि कालिकापुर पंचायत में मनरेगा योजना सं०-3/2011-12, 4/2011-12 एवं 5/2011-12 में अनियमितता पाये जाने पर कार्यालय ज्ञापांक-1719, दिनांक 19.09.2015 द्वारा पंचायत सचिव श्री आनंद सरदार, कनीय अभियंता श्री विरेन्द्र सिंह एवं मुखिया श्री होपना महली (प्रत्येक) से रुपये 2,06,624/- वसूली का आदेश निर्गत है, जिसके विरुद्ध श्री आनंद सरदार द्वारा अब तक रुपये 1,81,264/-, कनीय अभियंता द्वारा रुपये 2,06,624 एवं मुखिया द्वारा रुपये 1,81,264/- जमा किया जा चुका है। साथ ही उक्त तीनों के विरुद्ध थाना कांड संख्या-47/15, दिनांक 09.10.2015 द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है। इसी तरह कालिकापुर पंचायत में मनरेगा योजना सं०-3/2011-12 आड़लीगुंगरी से डोकारसाई तक मिट्टी मुरुम पथ में भी पंचायत सचिव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता कपिल देव सिंह (प्रत्येक) से रुपये 1,14,279/- वसूली का आदेश निर्गत है एवं संबंधित कर्मी द्वारा राशि जमा भी की जा चुकी है।

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा आयुक्त, ग्रा०वि०वि०, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1968, दिनांक 25.08.2015 द्वारा उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित प्रतिवेदन में उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा स्थल जाँच के दौरान योजनाओं में निम्न प्रकार गड़बड़ियाँ पायी गई हैं-

(क) मनरेगा योजना संख्या-03/11-12 स्थल जाँच के दौरान सड़क की लम्बाई मात्र 150 फीट पाया गया जबकि स्वीकृत सड़क की लम्बाई 1 कि०मी० थी। बिना कार्य किये योजना की प्राक्कलित राशि 3.024 लाख रुपये के विरुद्ध 3.02243 लाख रुपये की राशि की निकासी कालिकापुर ग्राम पंचायत के मुखिया श्री हपना माहली एवं पंचायत सेवक आनन्द सरदार द्वारा कर लिया गया है।

(ख) मनरेगा योजना संख्या-04/11-12 इस योजना में भी बिना कार्य कराए योजना की प्राक्कलित राशि 3.024 लाख रुपये के विरुद्ध 3.01973 लाख रुपये की निकासी योजना के संचालनकर्ता कालिकापुर ग्राम पंचायत के मुखिया श्री हपना माहली एवं पंचायत सेवक आनन्द सरदार द्वारा चेक के माध्यम से कर लिया गया।

(ग) मनरेगा योजना संख्या-05/11-12 इस योजना में भी बिना कार्य कराए योजना की प्राक्कलित राशि 3.024 लाख रुपये के विरुद्ध 3.02105 लाख रुपये की निकासी योजना के संचालनकर्ता

कालिकापुर ग्राम पंचायत के मुखिया श्री हपना माहली एवं पंचायत सेवक आनन्द सरदार द्वारा चेक के माध्यम से कर ली गई ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती पायल राज, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका द्वारा मनरेगा योजना का पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के फलस्वरूप योजना राशि 9,06,321/- रुपये का फर्जी निकासी संभव हुआ। यदि श्रीमती राज के द्वारा अपने पदस्थापन काल में योजना क्रियान्वयन अवधि में योजना का सम्यक् पर्यवेक्षण किया जाता तो उक्त राशि के गबन से बचा जा सकता था। मनरेगा अधिनियम की धारा-23 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अभिकरण किसी स्कीम की कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उनके व्ययन पर रखे गये निधि के उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे। श्रीमती राज द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि प्रखण्ड के मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में उनके द्वारा अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन एवं योजना का पर्यवेक्षण नहीं किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती पायल राज, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PAYAL RAJ 110061165698	श्रीमती पायल राज, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती पायल राज, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
